राजस्व निगरानी संख्या Gen. No. 2022 / 251

अनवान पोमाराम बनाम राजस्थान सरकार व अन्य

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित आदेश 47 नियम 01 सी.पी.सी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
12 06 22	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस के पश्चात् जाहिर है कि अधिवक्ता प्रार्थी श्री गणपतलाल चौधरी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित आदेश 47 नियम 01 सी.पी.सी. के माध्यम से इस न्यायालय द्वारा राजस्व वाद संख्या 38 / 2013 बअनवान पुन्नीलाल वगैरा बनाम राजस्थान सरकार अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित धारा 136 में राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट भीटवाड़ा में दिनांक 17.06.2016 को पारित आदेश को प्रार्थी की अनुपस्थिति में चाहे गये अनुतोष के विपरित निर्णित किये जाने से राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट भीटवाड़ा में दिनांक 17.06.2016 को पारित निर्णय को रिव्यु कर चाहे गये अनुतोष के अनुसार डिक्री जारी किये जाने की दलील दी जा रही है। अप्रार्थी संख्या 02 से 04 बावजुद नोटिस तामील के अनुपस्थित है। अप्रार्थी संख्या–01 तहसीलदार, बाली की ओर से पैरोकार सरकार द्वारा पारित निर्णय में कोई त्रुटि न होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रिव्यु प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने की दलील दी गई। प्रार्थना पत्र के संलग्न पुर्व निर्णित राजस्व वाद संख्या 38 / 2013 बअनवान पुन्नीलाल वगैरा बनाम राजस्थान सकार के वाद पत्र एवं इसकी आदेशिकाओ का अवलोकन किया गया। वादपत्र में उल्लेखित अभिवचनो से यह स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा अपने वाद में भू0प्रबन्ध विभाग द्वारा सैटलमेंट पुर्व के अधिकार अभिलेखों में वादीगण एवं वादीगण के पिता शैरूजी के संयुक्त खातेदारी में दर्ज ग्राम दांतीवाड़ा के गत् खसरा नंबर 355 मी. रकबा 14 बीघा 09 बिस्वा के भू0 भाग से बंदोबस्त पश्चात् कायम हाल खसरा नंबर में हाल खसरा नंबर 714 रकबा 0.02 हैक्टर व हाल खसरा नंबर 715 रकबा 1.91 हैक्टर कुल रकबा 1.93 हैक्टर यानि 12 बीघा के तुल्य भूमि का ही खातेदार दर्ज किया। तथा भू0प्रबन्ध पहले के रेकर्ड मे व नक्शे मे वादीगण के खातेदारी भूमि मे कोई रास्ता नही होते हुये हाल रेकर्ड में खसरा नंबर 715 के अडोअड उत्तर दिशा की तरफ खसरा नंबर 707 रकबा 0.10 हैक्टर गै.मु. रास्ता मौका स्थिति के विपरित दर्ज कर दिया। इस प्रकार भू0प्रबन्ध बाद के अधिकार अभिलेखों में वादीगण के खातेदारी में गत् रेकर्ड के मुकाबले 02 बीघा 09 बिस्वा भूमि कम दर्ज करने तथा मौका स्थिति के विपरित वादीगण के खातेदारी भूमि हाल खसरा नंबर 715 के उत्तर दिशा की तरफ दर्ज हाल खसरा नंबर 707 रकबा 0.10 हैक्टर गै.मु. रास्ता को दुरस्ती के जरिये विलोपित करते हुये हाल खसरा नंबर 707 रकबा 0.10 हैक्टर का वादीगण को खातेदार दर्ज किये जाने की मांग की गई। पत्रावली पर उपलब्ध पुर्व निर्णित राजस्व वाद संख्या 38 / 2013 की आदेशिकाओ की सत्यापित प्रतियो के अवलोकन से ज्ञात है कि दिनांक 17.06.2016 से पहले पुर्व निर्णित वाद प्रतिवादी पेरोकार सरकार के जवाबदावा के लिये लंबित था। दिनांक 17.06.2016 को राजस्व कैम्प मे प्रतिवादी तहसीलदार, बाली द्वारा जवाबदावा पेश किया गया। जिस जवाब मे मौके पर खसरा नंबर 715 के दक्षिण पश्चिम में चालु रास्ते के संबंध मे वादी पक्ष सहमत हो तो खसरा नंबर 715 के अडोअड उत्तर दिशा मे स्थित खसरा नंबर 707 रकबा 0.10 हैक्टर की खातेदारी वादी पक्ष को दी जाकर शुद्धि उचित होगी। प्रतिवादी तहसीलदार, बाली का जवाबदावा प्रस्तुत होने पर अप्रार्थी संख्या–02 पुन्नीलाल के कैम्प मे उपस्थित होने पर प्रस्तुत जवाबदावा के अनुसार वादी पक्ष के वाद को निर्णित किया गया। इस प्रकार वाद निर्णय	

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

जवाबदावा के अनुसार वादी पक्ष के वाद को निर्णित किया गया। इस प्रकार वाद निर्णय दिनांक 17.06.2016 को प्रार्थी पोमाराम केम्प भीटवाडा मे उपस्थित नही था। तथा केम्प भीटवाडा में पारित आदेश प्रार्थी की जानकारी के बाले बाले हुआ है। तथा यह भी स्वीकार्य तथ्य है कि वादीगण द्वारा अपने वाद में भू0प्रबन्ध द्वारा मौका स्थिति के विपरित वर्तमान राजस्व रेकर्ड एवं नक्शे में वादीगण की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 715 के उत्तर दिशा की ओर दर्ज खसरा नंबर 707 रकबा 0.10 हैक्टर गै.मु. रास्ता त्रुटिपुर्ण होने से इसको विलोपित करते हुये भू0 प्रबन्ध विभाग द्वारा भू0प्रबन्ध पुर्व के अधिकार अभिलेखों में दर्ज 14 बीघा 09 बिस्वा के तूल्य भूमि वर्तमान अधिकार अभिलेखों में दर्ज नहीं कर 1.93 हैक्टर 12 बीघा के तूल्य भूमि ही दर्ज करने से 02 बीघा 09 बिस्वा के तूल्य भूमि का दुरस्ती के माध्यम से खातेदारी घोषणा का अनुतोष भी चाहा गया था। दिनांक 17.06.2016 की आदेशिका से वादीगण को चाहा गया अनुतोष प्राप्त नही हुआ। इस प्रकार उक्त तथ्य राजस्व लोक अदालत मे प्रार्थी पोमाराम हाजिर नहीं होने से न्यायालय के ध्यान में नहीं लाये जा सके। तथा इसी कारण प्रतिवादी तहसीलदार, बाली के जवाब के अनुसार वादीगण के वाद को चाहे गये अनुतोष के विरूद्व निर्णित कर दिया गया। इस संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 229 एवं दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश 47 नियम 01 में वर्णित प्रावधानो के अवलोकन से ज्ञात है कि यदि कोई व्यक्ति न्यायालय के निर्णय से अपने को व्यथित समझता है और जो ऐसी नई और महत्वपुर्ण बात या साक्ष्य के पता चलने से जो सम्यक् तत्परता के प्रयोग के पश्चात् उस समय जब डिक्री पारित की गई थी या आदेश किया गया था, उसके ज्ञान में नहीं था या उसके द्वारा पेश नही किया गया जा सकता था, या किसी भूल या गलती के कारण जो अभिलेख के देखने से ही प्रकट होती हो या किसी अन्य पर्याप्त कारण से वह चाहता है कि उसके विरूद्व पारित डिक्री या किए गए आदेश का पुनर्विलोकन किया जाये, वह उस न्यायालय के निर्णय के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन सकेगा जिसने वह डिक्री पारित की थी या वह आदेश किया था। इस प्रकार हस्तगत प्रकरण मे यह स्वीकार्य तथ्य हैं कि प्रार्थी की अनुपस्थिति में वाद मे चाहे गये अनुतोष के विपरित तहसीलदार, बाली के जवाबदावा के आधार पर निर्णय पारित कर दिया गया। जिसको प्रार्थी विधिक प्रावधानो के अनुसार रिव्यु कराने का अधिकारी बनता है। जिससे पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् राजस्व वाद संख्या 38/2013 बअवान चुन्नीलाल वगैरा बनाम तहसीलदार, बाली अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 में राजस्व लोक अदालत केम्प भीटवाडा में दिनांक 17.06.2016 को पारित आदेश को रिव्यु कर प्रकरण को पुनः सुनवाई पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर पुर्व निर्णित पत्रावली राजस्व वाद संख्या 38/2013 बअनवान चुन्नीलाल वगैरा बनाम तहसीलदार, बाली के संलग्न होकर नंबर से कम हो।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली
बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner